(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 17/2018-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 2018

सा.का.नि........ (अ.)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 690 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के क्षेत्र विस्तार और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (vi) की प्रविष्टि में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत:स्थापित करती है, यथा:-

"स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए 'कारोबार' की अभिव्यक्ति में ऐसा कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार नहीं आएगा जो कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जिसमें कि वे लोक प्राधिकारी के रूप में संलग्न हों, द्वारा किया जा रहा हो"

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फाइल संख्या 354/13/2018- टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के रूप में सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 1/2018-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 25 जनवरी, 2018, सा.का.नि 64 (अ) दिनांक 25 जनवरी, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया है ।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZZETE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

Notification No. 17/2018- Central Tax (Rate)

New Delhi, the 26th July, 2018

G.S.R......(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary so to do for the purpose of clarifying the scope and applicability of the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017- Central Tax (Rate), dated the 28thJune, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017, hereby inserts following Explanation in the said notification, in the Table, against serial number 3, in column (3), in item (vi), namely:-

> "*Explanation.* - For the purposes of this item, the term 'business' shall not include any activity or transaction undertaken by the Central Government, a State Government or any local authority in which they are engaged as public authorities.".

2. This notification shall come into force with effect from 27th of July, 2018.

[F. No.354/13/2018-TRU]

(Gunjan Kumar Verma)
Under Secretary to the Government of India

Note: - The principal notification No. 11/2017 – Central Tax(Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 1/2018- Central Tax (Rate), dated the 25th January, 2018 *vide* number G.S.R. 64(E), dated the 25th January, 2018.